सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला- इंदौर

06-18 वर्ष आयु के दिव्यांग लाभार्थी के लिए विभागीय योजनाओं की जानकारी वर्ष 2023.24

समग्र

म.प्र. शासन द्वारा संचालित पेंशन योजना -

सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन:-

योजना वर्ष 1981 से प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत 600/- प्रतिमाह पेंशन मिलती है ।, 06 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के निःषक्तजनों को लाभान्वित किया जाता है ।

- 06-14 वर्ष तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा बीपीएल कार्ड धारी हो ।
- 14.वर्ष सें अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होगें।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई : वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड :

• 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग बच्चें

अर्हताएं :

• मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
• 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
• समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो

सहायता : ₹ 600 प्रतिमाह

लाभान्वित हितग्राही : 2040

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :

•निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
•तीन फोटो
•आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
•निःशक्तता का प्रमाण पत्र
•9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी :
•ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
•शहरी क्षेत्र में – नगरपालिका अधिकारी/नगरनिगम अधिकारी

मंदबुद्धि एवं बहुविकलांगो को विशेष आर्थिक सहायता:-

योजना दिनांक 18 जून 2009 से प्रारंभ की गई।

- उक्त पेंशन हेतु हितग्राही मानसिक/बहुविकलांग श्रेणी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है । योजना में हितग्राही को 600/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है । हितग्राही की आयु 06 वर्ष से अधिक होना चाहिए ।
- वर्ष 2023-2024 में जिले समग्र पोर्टल से डाउनलोड प्रपोजल अनुसार स्वीकृत 3186 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाकर 176.87 लाख का व्यय किया गया है। राज्य स्तर से डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के बैंक खाते में पेंशन का ऑनलाईन भुगतान किया जाता है ।

•योजना कब प्रारंभ की गई : 18 जून 2009

- **पात्रता के मापदंड :**
- छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।

•अर्हताएं :

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हों
- सहायता : ₹ 600 प्रतिमाह
- सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :
- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें

•40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों। आयु प्रमाण पत्र।

- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

•लाभान्वित हितग्राही : 3186

- -***सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :**
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
- शहरी क्षेत्र में – नगरपालिका अधिकारी/नगरनिगम अधिकारी

- **दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरण**
- भारत सरकार एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को क़त्रिम अंग सहायक उपकरण देने जाने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में(1958 दिव्यांगजनों को क़त्रिम अंग सहायक उपकरण वितरित किए गए है। जिनमें व्हीलचेयर- 80ए ट्रायसाईकिल-207, डिजिटल कान की मशीन- 3345 सीपी चेयर-69, बैटरी चलित ट्रायसिकल-107, वाकिंग स्टीक- 13, एमआर कीट-161, ब्रेल कीट-331,ब्रेल केन-127, क्रचेस-518 ।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना-

- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से 9वी पास कर दसवी में, आईटीआई, कोपा व पोस्ट ग्रेजूऐशन कोर्स होने पर लेपटॉप दिया जाता है योजनान्तर्गत विभाग द्वारा कुल 150 लेपटॉप वितरित किए जा चुके है ।

- **नेशनल छात्रवृत्ति योजना:**

भारत सरकार द्वारा दिव्यांग विदयार्थियों हेतु नेशनल स्कॉलरशीप के लिए National Scholarship portal पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है आवेदन अध्ययनरत संस्था द्वारा वेरीफाई किया जाकर डायरेक्ट ही स्टेट लेवल पर फारवर्ड की जाती है। इस वर्ष में स्कॉलर में ऑनलाईन नये आवेदन प्री-मैट्रिक-13, पोस्ट मैट्रिक-76, टॉप क्लास-1 कुल- 90 दर्ज किए है । रिनीवल आवेदन प्री-मैट्रिक-48, पोस्ट मैट्रिक-30, टॉप क्लास-5 कुल- 83 दर्ज किए है । इस प्रकार कुल – 173 स्कॉलर आवेदन दर्ज है

स्पर्श पोर्टल/यूडीआईडी कार्ड:

- भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को Unique Disability Identity Card(UDID) दिव्यांग परिचय कार्ड लाभ पहुचाने की दृष्टि से ऑनलाईन जारी किए जा रहे हैं। जिसके द्वारा समस्त दिव्यांगजनों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। यूडीआईडी कार्ड जिला मेडिकल बोर्ड के सहयोग से समक्ष उपस्थिति में मेडिकल प्रमाण पत्र तैयार कर यूडीआईडी कार्ड जनरेट की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है जिनमें आज दिनांक तक 06- 18 वर्ष आयु के कुल **5000** से अधिक यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए है ।
- शासकीय/अशासकीय दिव्यांग कर्मचारी/अधिकारी को वृत्तिकर में छूट प्राप्त होती है।
- एवं शासन की अन्य योजनाओं जैसे पेंशन, स्कॉलरशीप, विदेश शिक्षा आवश्यक रूप से उपयोगी साबित हो रहा है।
- विदेश नौकरी, ओलंपिक गैम्स तथा अन्य कॉम्पीटीशन हेतु यह कार्ड इन्ट्रनेशनल लेवल पर भारत की नागरिकता का प्रमाण देते हुए उपयोगी साबित हुआ है ।

निरामय स्वास्थ्य बीमा

- नेशनल ट्रस्ट, के अंतर्गत निरामय योजना संचालित है, इस योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेबल पाल्सी, मंदबुद्धि और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मेडीक्लेम पॉलिसी राशी 1.00 लाख रूपए की उपलब्ध कराई जाती है ।

दिव्यांगजनों को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुगम्य भारत अभियान

- सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2016 से शासकीय/अशासकीय सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य एवं सुलभ बनाने के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ।
- एक्सिस ऑडिट रिर्पोट के आधार पर पीडब्ल्यूडी द्वारा 2017 में प्राकल्लन बनाकर सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 42 सार्वजनिक भवनों में बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु 18 करोड़ 52 लाख रू स्वीकृत किये गए हैा सामाजिक न्याय विभाग संचालनालय द्वारा निर्माण एंजेन्सी पीआईयू पीडब्ल्यूडी इंदौर के माध्यम से उक्त कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

दृष्टिबाधित बच्चों के मानसिक विकास हेतु एनी स्मार्ट क्लास

- एनी स्मार्ट क्लास के माध्यम से दृष्टि बाधित छात्र-छात्राओं को ब्रेललिपि पढ़ने एवं सीखने में अत्यधिक सहायक है। इस स्मार्ट क्लास में डिवाईस को इस तरह से स्थापित किया गया है कि बगैर शिक्षक की उपस्थिति में भी ब्रेललिपि दृष्टिबाधित बच्चे स्वयं सुनकर ब्रेल लिपि, वर्ण एवं शब्दों को सीख सकेंगे। साथ ही बच्चे मनोरंजक कहानियां एवं छोटे-छोटे ग्रेम्स भी खेल सकेंगे, जिससे उनका मानसिक विकास भी होगा ।

जिला मेडिकल बोर्ड

- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगता के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के मेडिकल प्रमाण-पत्र बनाए जाने के संदर्भ में अधिनियम लागू किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इंदौर जिले में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को तीन भागों में विभक्त करते हुए Orthopaedic-Blood-Multiple , Ent-Eye,Intellectual-Mental-Neurological श्रेणी के अनुसार मेडिकल प्रमाण-पत्र बनाने हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रति बुधवार एवं शनिवार को दिव्यांगता के अनुरूप दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाए जा रहे है।

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता की शर्ते
1	शिक्षा प्रोत्साहन योजनाए लेपटाप /मोट्रेड ट्रायसिकल		• दिव्यांग विधार्थी द्वारा कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाॅप प्राप्त करने परए द्वितीय बार आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं रहेगी । मुख्या शिखा प्रोत्साहन के उपयुक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उस जिले हाई स्कूलए हायर सेकेण्डरी एवं आईटीआई में दिव्यांग विधार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है उसे जिले द्वारा नियमानुसार लाभ प्रदाय किया जाता है । आईटीआई में प्रवेशित उन्हीं छात्रए छात्राओं को लेपटाप प्रदाय किया जावेगा जो कम्प्यूटर आपरेटर गैर प्रोग्रामिंग में अस्सिटेंट पाठयक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है । दिव्यांग जन को द्वितीय बार लेपटाप मोटर ट्रायसिकल प्रदान नहीं की जावेगी तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनांतर्गत लेपटाप नहीं प्रदाय किया गया हो ।
2	छात्रगृह योजना		• छात्रगृह देने के लिये शासकीय अशासकीय गृह के प्राचार्य सक्षम रहेंगे । छात्रगृह में केवल उनहीं छात्रछात्राओं को प्रवेश की पात्रता रहेगी जिन्हांेने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 11 एवं उससे उपर की कक्षा में प्रवेेश लिया हो । मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हों या स्वीकृत हो चुकी हो जिसका चरित्र उत्तम तथा योजना की पूर्ति एवं नियम पालन के लिये वचनबद्व हो तथा उनके माता. पिता पालक की वार्षिक आयु रू 96000 से अधिक न हो छात्र छात्राएं मण्प्र के मूल निवासी हो ।

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता की शर्तें
3	निःशक्त उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	शिक्षण शुल्क/परिवहन भत्ता/निर्वाह भत्ता	• 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त हितग्राही को निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। • मेडिकल/इंजिनियरिंग/मैनेजमेंट कम्प्युटर में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु/ • निःशक्त छात्र/छात्रा म.प्र. स्थित विश्व विद्यालय/महा विद्यालय में ही नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो। • अन्य योजनांतर्गत शिक्षण शुल्क, परिवहन शुल्क, निर्वाह भत्ता का लाभ प्राप्त न कर रहा हो। • नियमित छात्र/छात्रा यदि अध्यनरत् पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता हैं उसी सेमिस्टर के लिये दुबारा अध्ययन करने हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क का पात्र नहीं होगा।
4	मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2013)	मोटराईज्ड ट्रायसाइकल (बैटरी चलित), लेपटाप	• दृष्टिबाधित/अस्थि बाधित को 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता प्रमाण एवं 9 वी एवं 12 वी में 50 प्रतिशत तथा अस्थि बाधित को 60 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त होने पर प्रदाय की जाती हैं • अस्थि बाधित को 9वी में प्रथमबार प्रवेश लेने पर एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने पर एक ही बार, 60 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता होने पर मोटराईज्ड ट्रायसाइकल (बैटरी चलित) प्रदाय की जाती हैं। • विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत हैं इस योजना का लाभ उसी जिले में दिया जावेगा ना की उसके गृह जिले में।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना

1- पृष्ठभूमि

1985-90 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्कों की आउटरीच गतिविधि के रूप में दिव्यांगजनों को जिला स्तर पर जमीनी स्तर पर व्यापक सेवाऐं उपलब्ध कराने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा और क्षमता निर्माण के लिये जागरूकता प्रचार-प्रसार पुनर्वास एवं पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिये जिला संसाधन केंद्र शुरू किये गये ।

वर्ष 1999-2000 से जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों को राज्य सरकारों से सक्रिय योगदान से स्थापित किया गया है । वर्तमान में इस योजना का उपनाम दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना है ।

2- डीडीआरसी की स्थापना के उद्देश्य

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केद्रं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांजनों को एक ही छत के नीचे व एक ही स्प्लेट फार्म पर निम्नलिखित पुनर्वासीय सहायता उपलब्ध कराना है:-

- शिवरों के आयोजन के माध्यम से दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण और पहचान करना, दिव्यांगजनों के लिये दिव्यंगता प्रमाण-पत्र, बस के पासों की सुविधा और अन्य रियायतें/सुविधाऐं और दिव्यांगजनों के लिये जिले में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र यूडीआईडी जारी करने में सहायता करना ।
- दिव्यांगता की रोकथाम को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिये जागरूकता स़जन, प्रारंभिक पहचान और उपचार के साथ-साथ जिले आदि में दिव्यांगजनों के सशक्तिरण के लिये कार्यरत संगठनों के डाटा का रख-रखाव ।
- प्रारंभिक उपचार और राष्ट्रीय न्यास/दिव्यांगजन विभाग द्वारा शुभारंभ की गई बीमा योजना की सुविधा ।
- सहायक उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण, सहायक उपकरणों का प्रावधान/निर्धारण सहायक उपकरणों की जांच/मरम्मत, जिले में सहायक यंत्र और सहायक उपकरणों के वितरण के लिये एडिप/एलिम्कों के शिवरों के आयोजन में सहायता करना ।
- चिकित्सकीय सेवाऐं अर्थात फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, वाक् थेरपी आदि ।
- शल्य चिकित्सा सुधार के लिये सरकारी और धर्माथ संस्थानों के माध्यम से परामर्श और व्यवस्थ।

- बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्वरोजगार के लिये ऋण की व्यवस्था ।
- बाधामुक्त वातावरण को बढावा देना और विभाग के सुगम्य भारत अभियान में सक्रिय भूमिका निभाना ।
- शिक्षा को बढावा देने के लिये सहायक और मानार्थ सेवाएं उपलब्ध कराना, विभाग की योजनाओं से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये दिव्यांगज छात्रों की सहायता करना, पात्र दिव्यांगजनों का व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल **प्रशिक्षण एवं दिव्यांगजनों को निम्नलिखित के माध्यम से रोजगार -**

- शिक्षक, समुदाय और परिवारों को ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करना

- शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिये दिव्यांगजनों को प्रारंभिक प्रेरणा और प्रारंभिक प्रोत्साहन के लिये प्रशिक्षण देना

- स्थानीय संसाधानों और डिजायनिंग को ध्यान में रखते हुये दिव्यांगजनों के लिये उपयुक्त रिक्तियों की पहचान करना और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना ताकि उन्हे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके ।

- **मौजूदा शैक्षणिक प्रशिक्षण और व्यावसियक संस्थानों के लिये परामर्श सेवाऐं उपलब्ध कराना** और राष्ट्रीय संस्थानों एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रो द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिये आउटरीच केंद्र के रूप में कार्य करना ।

आवेदन की कुल संख्या पृथक-पृथक सुविधाओं हेतु दिनांक वर्ष 2023-24 में अब तक सुविधाओं से लाभन्वित होने वालो की संख्या

सुविधा	लाभान्वित
फीजीयोथेरपी एवं ऑक्यूपेशनल, स्पीच, विशेष शिक्षा, आदि थेरपी से लाभान्वित संख्या	164
यूडीआइडी कार्ड नवीन एवं सुधार कार्य से लाभान्वित संख्या	766
कार्यालय अंतर्गत प्रत्येक गुरूवार को आयोजित मेडीकल बोर्ड के माध्यम से मेडीकल नवीन/नवीनीकरण से लाभान्वित संख्या	238
व्यावसायिक गतिविधियों आर्थिक कल्याण एवं अन्य से लाभान्वित होने वाली संख्या	198
कृत्रिम अंग सुधार कार्य से लाभान्वित होने वाली संख्या	98
क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट द्वारा जिला अस्पताल के मेडीकल बोर्ड, संस्था मेडीकल बोर्ड एवं अन्य स्थानो पर हुई आईक्यू जांच की सुविधा से लाभान्वित होने वाली संख्या	494
कुल योग	**1958**

धन्यवाद्